न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 102/2023 तारीख दायर :–15.02.2023 दिनांक निर्णय :–22.02.2023

पटवारी हल्का नयागावबोलका तहसील राजगढ जिला अलवर

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र भरता जाति ब्राहमण निवासी डागरवाड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0।
2. रामस्वरूप पुत्र भरता जाति ब्राहमण निवासी डागरवाड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0।
3. विनोद पुत्र भरता जाति ब्राहमण निवासी डागरवाड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0।
4. ओमप्रकाश पुत्र भरता जाति ब्राहमण निवासी डागरवाड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0।
5. प्रेमप्रकाश पुत्र भरता जाति ब्राहमण निवासी डागरवाड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0।

अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान
भू0 राजस्व अधिनियम–1956

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया, अप्रार्थी द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का नयागावबोलका द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण रामेश्वर वगैराह पुत्र भरता जाति ब्राहमण निवासी डागरवाडा तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा जवाब नोटिस दिनांक 22.02.2023 को प्रस्तुत किया जिसमें आ0ख0न0 239 रकबा 2.37 है0 के भाग 0.25 है0 वाके डागरवाड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर से अतिक्रमण हटा लेने बाबत पेश किया है। गैरसायलान द्वारा उक्त नियत दिनांक को बहस करने से अतिक्रमी की मंशा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कायम रखने की प्रतित होती है, चूँकी राजकीय भूमि पर गैरसायलान द्वारा अनाधिकृत रूप से सम्वत 2079 में कंटा बाड़ बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है। पटवारी हल्का नया गाव बोलका रिपोर्ट के अनुसार अतिकमी का अतिक्रमण सिद्ध होता है। अतिक्रमीयान काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:–

अतिक्रमी श्री रामेश्वर वगैराह पुत्र भरता जाति ब्राहमण निवासी डागरवाडा तहसील राजगढ़ जिला अलवर वाके ग्राम डागरवाडा के आराजी ख0न0 आ0ख0न0 239 रकबा 2.37 है0 के भाग 0.25 है0 किस्म बंजड़ राजकीय सिवायचक से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान1.000 की 50 गुणा में मु0 50.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों/पटवारी हल्का नयागाव बोलका को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आज दिनांक 22.02.2023 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दपतर हो।

नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. रा. 4 वर्ष 2022-23
के पृष्ठ संख्या 03 पर सि-च-50/-
राशि कायम की गये।
त. रा. लेखाकार